

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 122/2021 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)  
आवास फाईनेन्सर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर  
साउथेड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती नीलम सोनी पत्नी श्री पुष्कर कुमार सोनी  
.निवासी बी-151, शिव नगर-2, मालियों की ढाणी, मुरलीपुरा, जयपुर विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया  
जयपुर ।
2. श्री पुष्कर कुमार सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सोनी  
.निवासी बी-151, शिव नगर-2, मालियों की ढाणी मुरलीपुरा जयपुर विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया  
जयपुर एवं  
प्लाट नं. 159, जेडीए ओरियन्टल बैंक स्टॉफ कालोनी, जीतवाला के पास, ग्राम कानोता, आगरा रोड  
जयपुर ।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 30.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
13.06.2018 एवं 15.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी पुष्कर कुमार  
सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 159, जेडीए ओरियन्टल बैंक  
स्टॉफ कालोनी, जीतवाला के पास, ग्राम कानोता, आगरा रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज को  
बन्धक रख कर राशि 17,00,000/-रूपये एवं राशि 7,00,000/-रूपये कुल राशि 24,00,000/-  
रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण  
भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
18.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि  
मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction  
of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु  
आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

मजिस्ट्रेट  
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को राशि 17,00,000/-रूपये एवं राशि 7,00,000/-रूपये कुल राशि 24,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 17,38,295/-रूपये एवं 7,21,507/ रूपये कुल राशि 24,59,802/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी पुष्कर कुमार सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 159, जेडीए ओरियन्टल बैंक स्टॉफ कालोनी, जीतवाला के पास, ग्राम कानोता, आगरा रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



अफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/21  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर